समान नागरिक संहिता

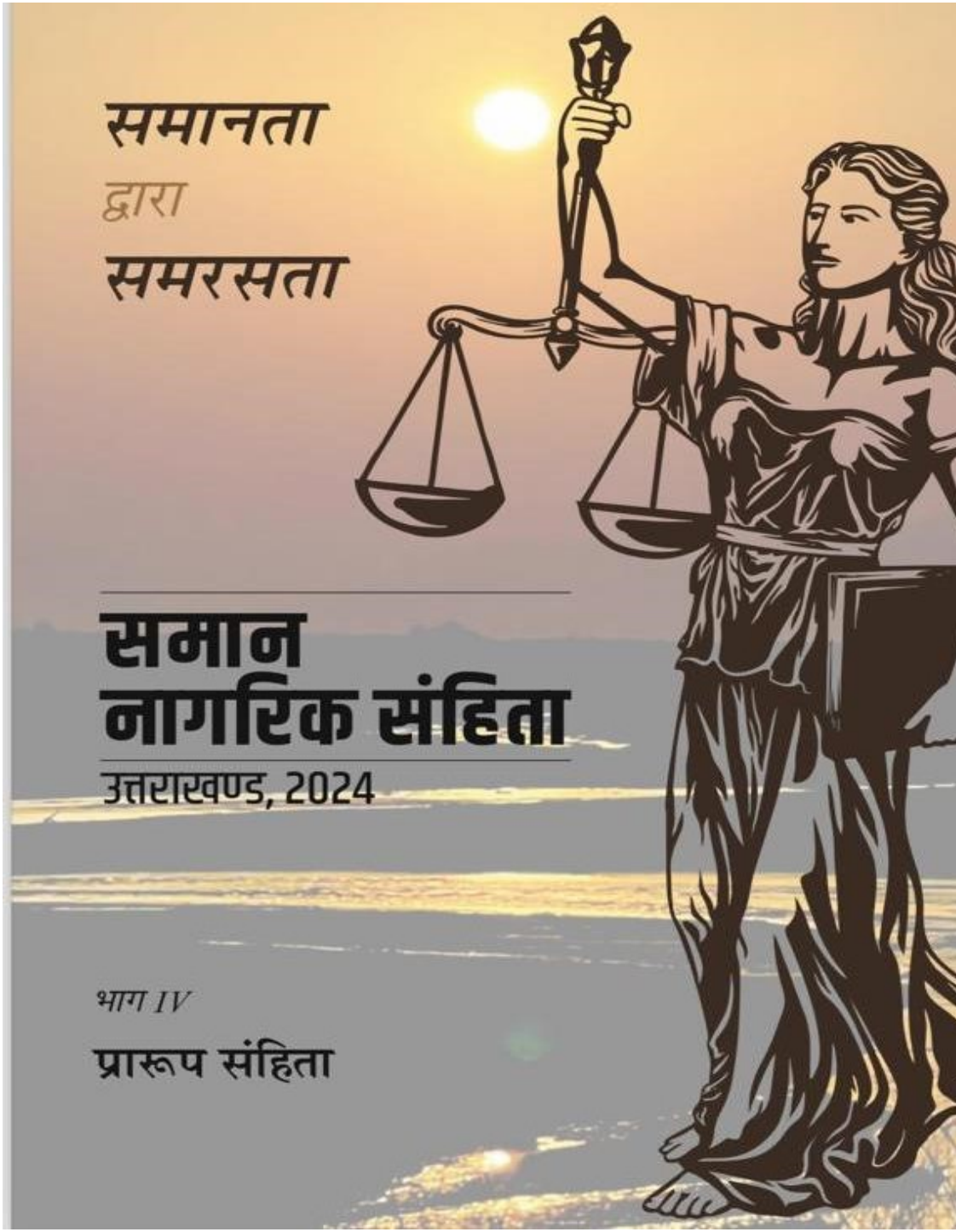

विशेषज्ञ समिति के प्रयास

- गठन : 27.05.2022
- हितधारकों के साथ बैठकें : 43
- गहन विचार-विमर्श हेतु बैठकें : 72
- नागरिकों के सुझाव हेतु पोर्टल का गठन : 08.09.2022
    - लगभग 79 लाख SMS
    - लगभग 29 लाख Whatsapp msg

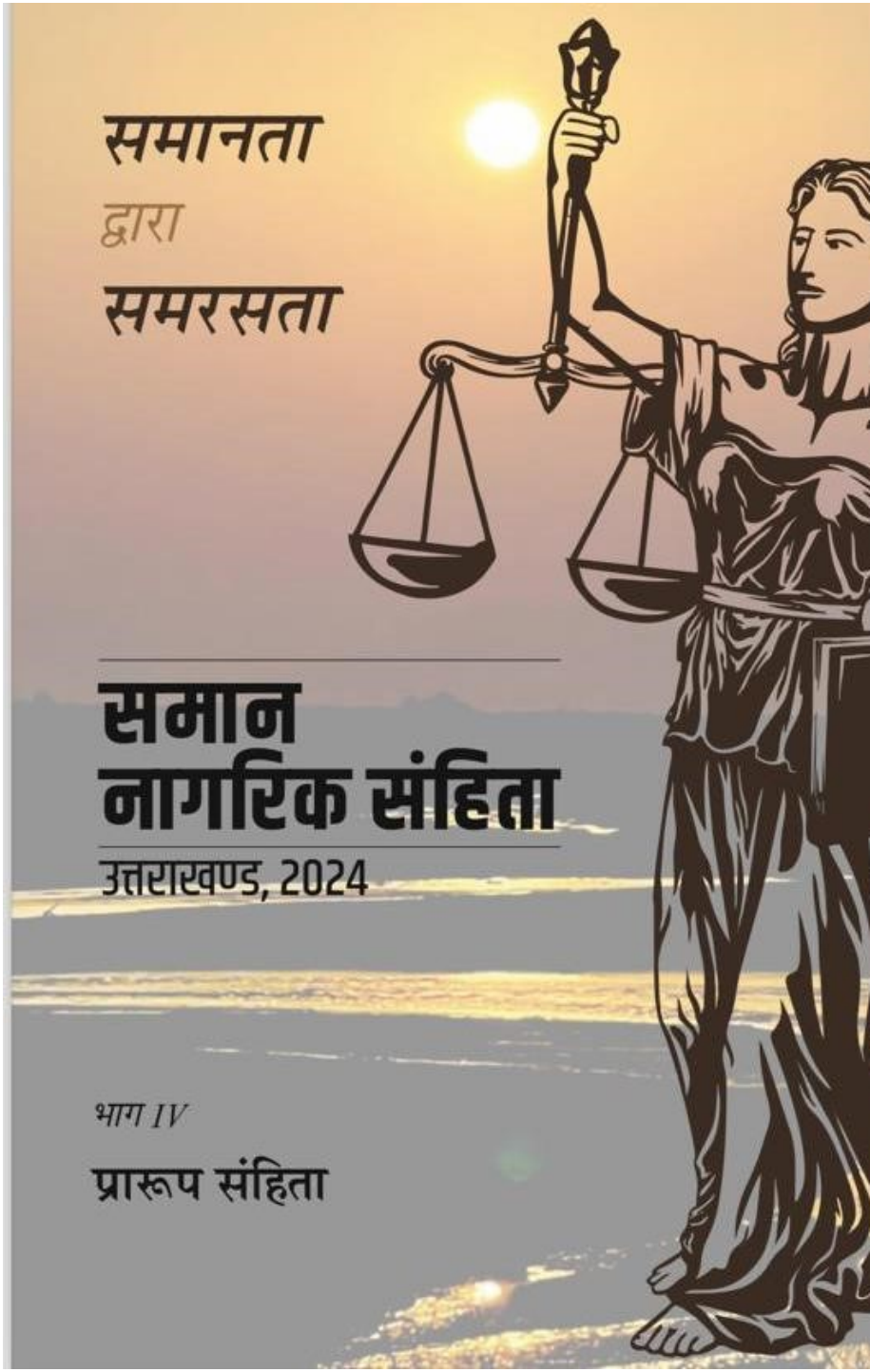

विशेषज्ञ समिति के प्रयास

- नागरिकों से प्राप्त सुझाव : लगभग 2 लाख 33 हजार
  - पोर्टल : लगभग 61,000
  - डाक द्वारा : लगभग 36,000
  - दस्ती : लगभग 1,12,000
  - ई-मेल : लगभग 24,000

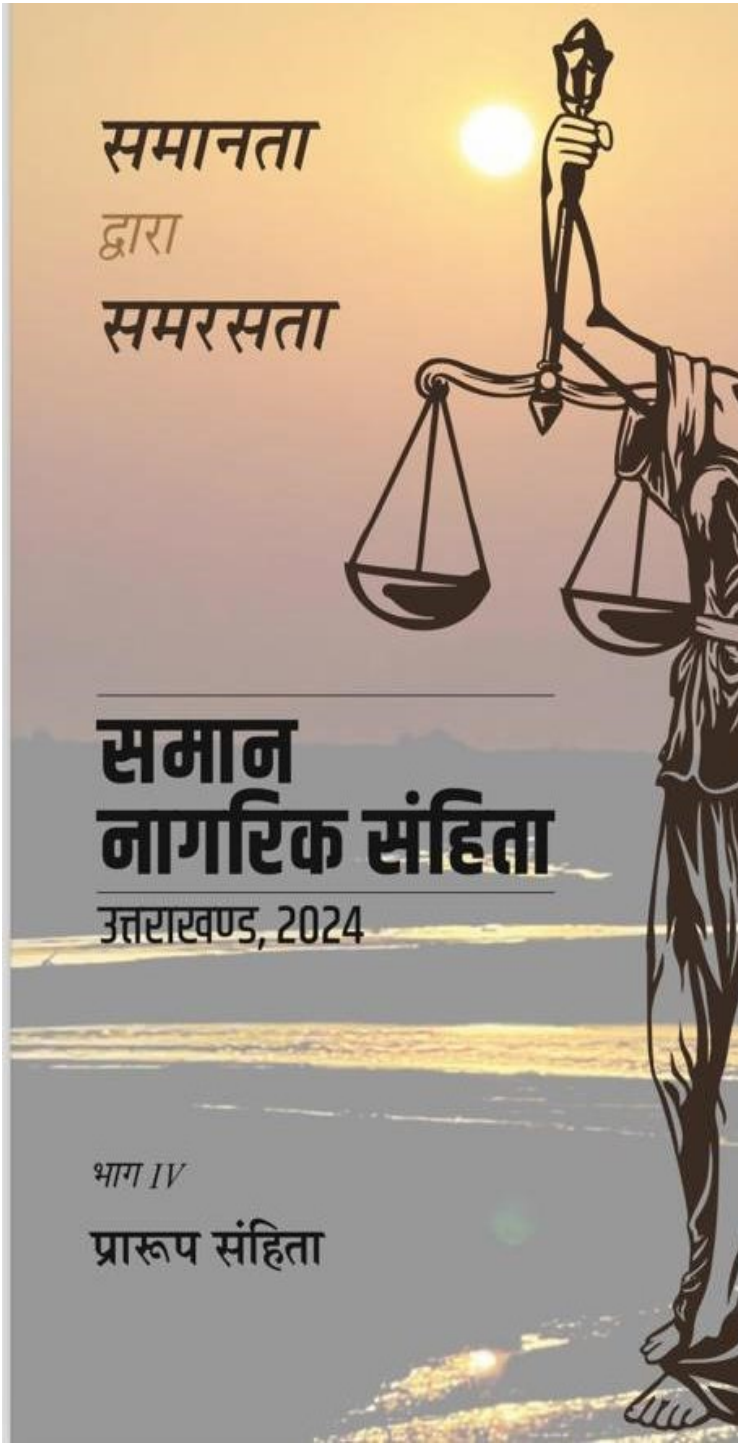

विभिन्न देश जिनमें समान नागरिक संहिता का अभिग्रहण किया गया है

- सऊदी अरब
- तुर्की
- इंडोनेशिया
- नेपाल
- फ्रांस
- अजरबैजान
- जर्मनी
- जापान
- कनाडा

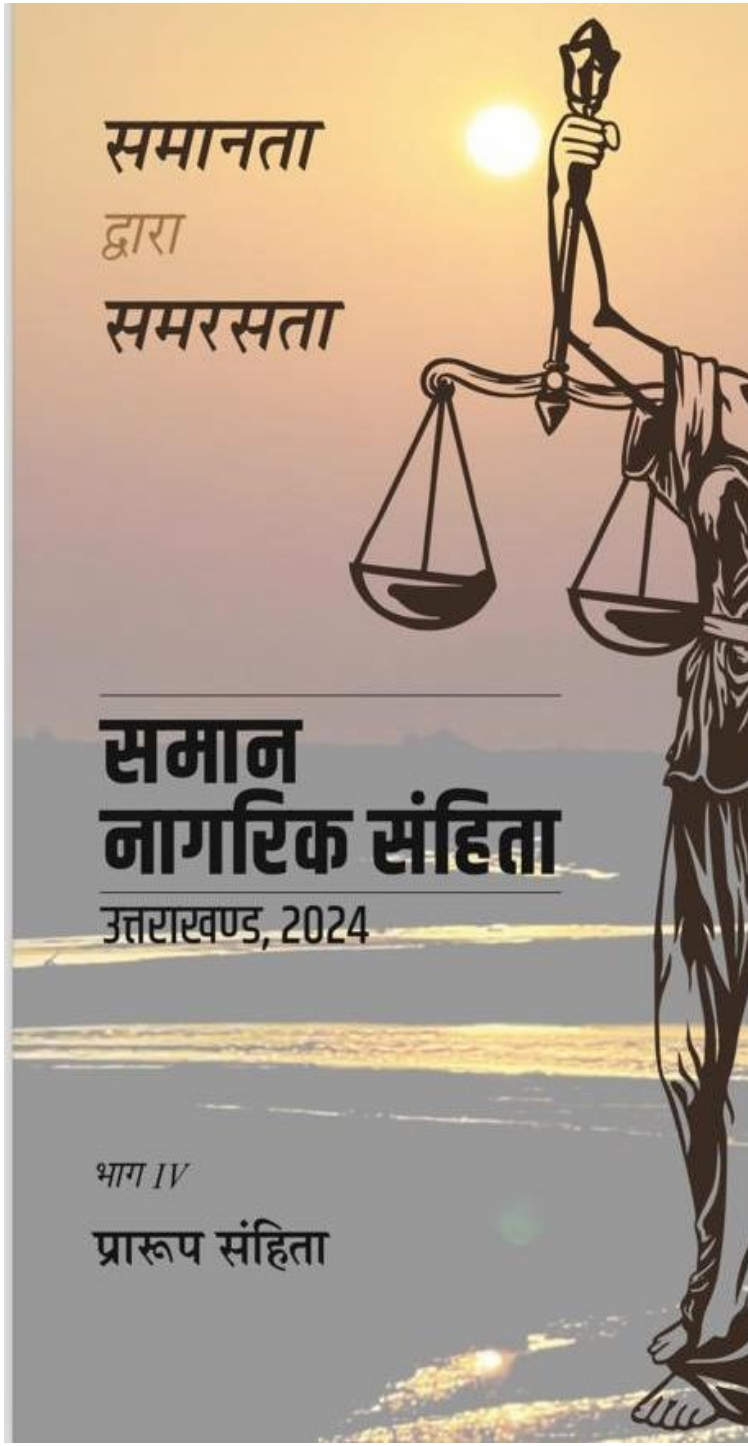

संहिता के विभिन्न प्राविधान
(कुल धारायें 392)

- Volume 1 : Report of the Expert Committee
- Volume 2 : Draft Code (in English)
- Volume 3 : Report on Stakeholder Consultation
- Volume 4 : Draft code (in Hindi)
  - भाग- 1 विवाह और विवाह-विच्छेद (धारा 4-48)
  - भाग- 2 उत्तराधिकार (धारा 49-377)
  - भाग- 3 सहवास संबंध (धारा 378-389)
  - भाग- 4 निरसन एवं व्यावृत्तियां (धारा 390-392)

समान नागरिक संहिता

- 2 : अनुसूचित जनजाति के सदस्यों जिनके परम्परागत अधिकार भारत के संविधान भाग 21 के अन्तर्गत संरक्षित है, पर यह संहिता लागू नहीं होगी।
- 3 (क) बच्चा : जैविक बच्चा जिसमें दत्तक, अवैध, assisted reproductive technology अथवा Surrogacy से जनित बच्चा।
- 3 (घ) : प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रीयां (prohibited relationships)– सूची 1 व सूची 2 में अंकित ।
- 3 (ङ) : सम्पदा – किसी भी प्रकार की सम्पत्ति:- चल/ अचल/ स्वअर्जित/ पैतृक/ जंगम/ संयुक्त ।

- 3 (ड) : निवासी से अभिप्राय उत्तराखण्ड राज्य के भीतर या बाहर निवास कर रहा भारत का ऐसा नागरिक जो :-
  - राज्य में कम से कम 01 वर्ष से निवास कर रहा हो, अथवा
  - केन्द्र/ राज्य सरकार के किसी उपक्रम का स्थायी कर्मचारी हो अथवा
  - राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अन्तर्गत स्थायी निवासी ठहराये जाने का पात्र हो, अथवा
  - केन्द्र या राज्य सरकार की ऐसी योजना का लाभार्थी हो जो राज्य में लागू हो।

विवाह और विवाह विच्छेद (Marriage and Divorce)

- 4 : विवाह के समय न तो वर की कोई जीवित पत्नी हो और न वधू का कोई जीवित पति हो।
  - पुरुष ने 21 वर्ष की आयु और स्त्री ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो।
  - विवाह के पक्षकार प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रीयों (prohibited relationships) के भीतर हों या न हों, तब भी किसी एक को शासित करने वाली प्रथा उनके मध्य विवाह अनुमन्य करती है।
- 5 : विवाह अनुष्ठानों पर कोई प्रतिबंध नही :- सप्तपदी/ निकाह/ पवित्र बंधन/ आनंद कारज
- 10-11 : विवाह/विवाह विच्छेद के पंजीकरण की प्रक्रिया :- सब रजिस्ट्रार कार्यालय में 60 दिवस के भीतर ज्ञापन देने का प्राविधान।
- 12 : महानिबंधक, निबंधक और उपनिबंधक की नियुक्ति।

विवाह और विवाह विच्छेद (Marriage and Divorce)

- 17-19 :
  - उपेक्षा या मिथ्या कथन के लिये दण्ड :- 03 माह का कारावास अथवा 25 हजार का अर्थदण्ड अथवा दोनों
  - पंजीकरण न करने की स्थिति में 10 हजार रुपये तक का अर्थदण्ड
  - उपनिबंधक की निष्क्रियता के लिये 25 हजार रुपये तक का अर्थदण्ड
- 25 : किसी भी पक्षकार द्वारा प्रस्तुत याचिका पर न्यायिक आदेश द्वारा ही विवाह-विच्छेद किया जा सकेगा।
- 29 : इस भाग के प्राविधानों के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार से विवाह-विच्छेद नहीं किया जायेगा।

विवाह और विवाह विच्छेद (Marriage and Divorce)

- 32: उल्लघंन के लिये दण्ड
  - धारा 4 के उल्लघंन के लिये 06 माह का साधारण कारावास और 50 हजार रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न देने पर 01 माह तक का अतिरिक्त कारावास।
  - धारा 29 के उल्लघंन के लिये 03 वर्ष तक का कारावास एवं अर्थदण्ड
- 33-34 : भरण-पोषण (maintenance) और स्थायी निर्वाहिका (permanent alimony) का अधिकार वर एवं वधू दोनों को प्राप्त होगा।

- 48 : नियम बनाने की शक्ति
  - महानिबंधक, निबंधक, उपनिबंधक और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति।
  - विवाह के पक्षकारों की धार्मिक परंम्पराओं और रीतियों के अनुरुप अनुष्ठानों के सम्बन्ध में पंजीकाओं में प्रविष्टियां।
  - विवाहों के पंजीकरण हेतु प्रोत्साहन : सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिये पंजीकरण की अनिवार्यता।

उत्तराधिकार (Intestate Succession)

- 49-53 : उत्तराधिकार के सामान्य नियम एवं सम्पदा का वितरण।
  - I. उन उत्तराधिकारियों को जो अनुसूचि 2 के श्रेणी-1 में निर्दिष्ट नातेदार हैं प्राथमिकता दी जायेगी।
  - II. यदि श्रेणी-1 का कोई उत्तराधिकारी ना हो तो अनुसूचि 2 के श्रेणी-2 में निर्दिष्ट नातेदारों को प्राथमिकता दी जायेगी।
  - III. यदि खण्ड (I) व (II) में उल्लेखित दोनों श्रेणीयों का कोई भी उत्तराधिकारी ना हो तो अन्य नातेदार सम्मिलित किये जायेंगे।

❖ पुत्र और पुत्रियों को समान अधिकार देने की व्यवस्था।

इच्छा पत्रीय उत्तराधिकार (Testamentary Succession) (धारा 61-185)

- भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम,1925 के प्राविधानों के आधार पर उपरोक्त भाग सम्मिलित किया गया है।
- अविभाजित हिन्दु परिवारों (HUF) के लिये हिन्दु उत्तराधिकार अधि0,1956 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए इस संहिता में सम्मिलित किया गया है।
- 203 : राज्य सरकार द्वारा लोक रक्षकों की नियुक्ति की जा सकेगी।

सहवासी सम्बन्ध (Live-in Relationships) (धारा 378-389)

- 378, 384 : सहवासियों द्वारा सम्बन्ध रखने/ सम्बन्ध समाप्ती का कथन निबंधक के समक्ष अनिवार्य होगा।
- 379 : सहवासी सम्बन्ध से जनित कोई भी बच्चा वैध होगा।
- 380 : कतिपय आधारों पर सहवासी सम्बन्ध का पंजीकरण नही किया जाना।
- 381 : सहवासी सम्बन्ध के पंजीकरण की प्रक्रिया।
- 382 : पंजीकरण मात्र अभिलेखिय प्रयोजनों के लिये होगा।

सहवासी सम्बन्ध (Live-in Relationships)

- 385 : निबंधक के कर्तव्य :-
  - सहवासियों द्वारा निबंधक के समक्ष सम्बन्ध रखने/ सम्बन्ध समाप्ति का कथन प्रस्तुत किये जाने पर निबंधक द्वारा स्थानीय थाना प्रभारी को सूचित किया जायेगा।
  - यदि सहवासियों में से कोई भी 21 वर्ष से कम आयु का हो तो ऐसे सहवासी के माता-पिता/ अभिभावकों को निबंधक द्वारा सूचित किया जायेगा।
  - सहवासियों द्वारा प्रस्तुत कथन असत्य या संदिग्ध प्रतीत होने पर निबंधक द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु स्थानीय थाना प्रभारी को सूचित किया जायेगा।

सहवासी सम्बन्ध (Live-in Relationships)

- 387 : अपराध एवं दण्ड।
  1. सहवासी सम्बन्ध में प्रवेश की तिथि से 01 माह के भीतर अपने कथन प्रस्तुत न करना।
  2. सहवासी सम्बन्ध में मिथ्या कथन का दावा करना।
- 388 : भरण-पोषण
  - यदि किसी महिला को अपने पुरुष सहवासी साथी द्वारा त्याग दिया जाता है तो वह भरण-पोषण की मांग हेतु न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकेगी।
- 389 : नियम बनाने की शक्ति।

- 390 : निरसन (Repeal)
  - इस संहिता के लागू होने पर “उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रिकरण अधिनियम, 2010” एतदद्वारा निरसित किये जाने का प्राविधान ।

जिन प्रावधानों को विधेयक में सम्मिलित नही किया गया

- दत्तक ग्रहण (Adoption) : किशोर न्याय अधि0, 2015
- संरक्षण (Guardianship) : संरक्षक और प्रतिपाल्य अधि0, 1890
- रख-रखाव (Maintenance) : इस विधेयक में केवल वैवाहिक विवादों से उत्पन्न रख-रखाव के प्रकरणों को ही सम्मिलित किया गया है।
    - घरेलू हिंसा अधि0, सीनियर सिटीजन एक्ट एवं विक्लांग व्यक्तियों का अधिकार अधि0 इत्यादि में रख-रखाव हेतु पूर्व से ही प्रावधान किये गये हैं।

धन्यवाद